न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 13/2020

1 श्री प्रभू उम्र 77 साल पुत्र मधला उर्फ मघराम जाति नायक निवास कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 श्री महावीर उम्र 65 साल पुत्र मघला उर्फ मघराम जाति नायक निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 नथूराम पुत्र मंगला जाति नायक निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 संतोष पुत्री मंगला पत्नी श्री शंकर जाति नायक निवासी रावतसर तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.
3 परमेश्वरी पुत्री मंगला पत्नी श्रीराम जाति नायक निवासी रावतसर तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.
4 चूनिया उर्फ चूना पुत्र सुरजिया जाति नायक निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
5 श्रीचन्द पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
6 महाबीर पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
7 संतोष पुत्री स्व. भागीरथ पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी धायलों का बास, पोस्ट कारी, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
8 बनवारी पुत्र तिलोका जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

9 कमला देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
10 मनोज कुमार दत्तक पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
11 राजेश कुमार पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
12 संदीप कुमार पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
13 मनभरी पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
14 सन्तोष देवी पत्नी शंकरलाल जाति नायक निवासी रावतसर तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।
15 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 25.02.2020 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी महोदय नवलगढ़ प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा उनवानी मुकदमा प्रभु वगै. बनाम नथूराम वगै.
मु.न. 25/2018

उपस्थिति :

1. श्री मुकर्रम अंसारी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धीरज कुमार बोयल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री अमरसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 8.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 25/2018 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 25, 179, 253, 189 जिसके नये खसरा नम्बर 45, 336, 661, 341 वाके ग्राम कसेरू का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस का विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 336, 661, 45 कुल रकबा 3.52 में प्रार्थीगण 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है लेकिन उनके पिता का नाम मघला की जगह मंगला दर्ज है जिसका गलत फायदा उठा कर प्रत्यार्थी उसको अन्य विक्रय एवं अन्य अस्तांतरण कर सकते है। इन तथ्यों पर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं कर कानूनी बिन्दु पर ध्यान दिये बिना अपना निर्णय दिनांक 25.02.2020 पारित कर कानूनी भूल की है। वाके ग्राम कसेरू तहसील नवलगढ़ में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 10 बिश्वा की खातेदारी संवत 2018 से 2021, 2022 से 2025, 2026 से 2029 में गलत रूप से एवं कानून के प्रावधानों के विरूद्ध तिलोका पुत्र इसर जाति जाट के नाम से अंकित होती रही है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 की उपधारा (ख) के प्रावधानों के उल्लंघन में प्राप्त खातेदारी स्वतः ही एवं प्रथमतः ही अवैध मानी जाती है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं कर बिना ज्युडिशल माइण्ड अप्लाई किये बिना निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक 25.02.2020 पारित कर अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र नाजायज व गैरकानूनी रूप से खारिज फरमा दिया है। राजस्व रिकार्ड में उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों की रही है तथा अब भी प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूरर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलान्टस के हक में है। जिससे रेस्पोडेन्ट उक्त वादग्रस्त भूमि का नाजायज व गैर कानूनी रूप से विक्रय एवं हस्तांतरित कर सकते है। उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर विचारण न्यायालय ने कानूनी भूल की है। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2020 निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय अपीलान्टस/प्रार्थीगण के प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु का निर्धारण किये बिना ही प्रकर्ण को निर्णित करने में कानूनी भूल की है। इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 25.02.2020 निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट बदमाश एवं आपराधिक किस्म के व्यक्ति है वे अपीलान्ट को उसके पैतृक हको से वंचित करने पर आमादा है। रेस्पोडेन्ट नाजायज व गैर कानूनी तरीके से उक्त विवादित भूमि को विक्रय एवं नाजायज हस्तांतरण कर खुर्द बुर्द कर अपीलान्टस को उसके पैतृक अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का वाद पत्र साक्ष्य में चल रहा है। अगर रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी के नाजायज व गैर कानूनी रूप से विक्रय एवं हस्तांतरित कर खुर्द बुर्द कर देता है तो अपीलान्टस की हक तलफी होगी अपीलान्टस बर्बाद हो जायेगे जिसकी पूर्ति नकदी या किसी भी तरीके से संभव नहीं होगी। अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलान्टस के पक्ष में है। अगर रेस्पोडेन्ट ने उक्त वर्णित भूमि को नाजायज व गैर कानूनी रूप से विक्रय एवं हस्तांतरित कर दिया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होने की पूरी पूरी सम्भावना है ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कवे तादौराने दावा विवादित भूमि अपीलान्ट के कब्जा काश्त में किसी प्रकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

की बाधा पैदा न स्वयं डाले न अपने किसी प्रतिनिधि से डलवाये तथा विवादित भूमि का विक्रय पत्र न तो स्वयं करवाये न अपने किसी प्रतिनिधि नौकर चाकर आदि से करवाये। विविवादि भूमि की तादौरान दावा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वकील अप्रार्थी की मुख्य आपति यह है कि जिस नामान्तकरण के द्वारा प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है वह अपील में निरस्त होकर तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई हेतु विचाराधीन है नामान्तकरण के संबंध में दोनों पक्ष को तहसीलदार न्यायालय में चाराजोही करनी है तथा मूलवाद में भी दोनों पक्षों को साक्ष्य सबूत से अपना पक्ष साबित करना है, प्रकरण में यथास्थिति के आदेश से तहसीलदार न्यायालय की कार्यवाही भी बाधित होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलांट के कब्जे काश्त का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं मानने में एवं विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलांट के कब्जे काश्त का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं मानने में एवं विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर